(10)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – बद्री नारायण मीना आर ए एस

वाद पत्र संख्या 26/2019

1. रामजी लाल
2. टीकाराम
3. सूरजमल
4. मथुरा लाल

पिसरान बाला जाति मीना निवासी गुडलाचंदन तहसील बौंली जिला स.मा.

...... प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

.... प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थित– श्री ओम प्रकाश मिश्रा एडवोकेट प्रार्थीगण की और से

आदेश

दिनांक 14.11.22

प्रार्थीयान की और से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया कि प्रार्थीयान की खातेदारी की आराजी खत्रनं.314 रकबा 0.18 है, 315 रकबा 0.30 है.,370 रकबा 0.10 है., ख.नं. 371 रकबा 0.14 है., 372 रकबा 0.20 है. कुल किता 5 कुल रकबा 1.55 है. वाके ग्राम गुडलाचंदन हैं जिस पर प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं दौराने सेटिलमेंट प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख.नं.370 रकबा 0.10 व ख.नं. 371 व ख.नं. 372 में रास्ता निकाल दिया हैं और नयी नक्शा सीट में इन्द्राज कर दिया हैं जो गलत हैं रास्ते को नक्शा शीट से हजफ किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की और से बाद तामील कोई उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गयें।

बहस प्रार्थीयान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीयान की खातेदारी संवत 2052–2055 की जमाबंदी के अनुसार आराजी ख.नं. 264 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा एवं ख.नं. 325 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम गुडलाचंदन थी। बाद सेटिलमेंट खसरा नं. 328 से हाल खसरा नं. 371,372 कायम किये गये। जो प्रार्थीयान की खातेदारी मे है तथा साबिक खसरा नं. 325 से हाल खसरा नं. 367,368 कायम किये गये जो मुताबिक पटवारी रिपोर्ट गै.मु. रास्ता दर्ज है। पटवारी हलका ने अपनी रिपोर्ट मे दर्ज किया कि पुरानी नकशा शीट मे प्रार्थी के खसरो के बीच मे से कोई रास्ता दर्ज नही है जबकि हाल नक्शाशीट मे खसरा नं. 368 रकबा 0.05 किस्म गै.मु. रास्ता व ख.नं. 379 रकबा 0.03 गै.मु. शमशान दर्ज

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

हैं तथा मौके पर कोई रास्ता नहीं हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह प्रथम दृष्टया पाया गया कि सेटिलमेंट वालो ने राजस्व नक्शें में तरमीम मौके अनुसार नहीं की हैं। लेकिन चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत रास्ते की किस्म बदलना व नक्शे से हजफ करना विधि अनुरूप नहीं हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस हद तक स्वीकार किया जाता हैं कि प्रार्थीयान की आराजी खसरा नं. 370 371, 372 से सटवा ख.नं. 368 रकबा 0.05 हे.मु. रास्ता मौके पर नहीं हैं। इन्द्राजात पूर्वतः यथावत रहेगें।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

निर्णय आज दिनांक 14.11.22 को खुले न्यायालय में उच्चारित कर हस्ताक्षरित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर